

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)



:: आदेश ::

क्र./7481 / जि.पं./MGNREGA/2013-14

कांकेर दिनांक 27/07/2013

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक /4481 /स्था./रोगयो/2008 रायपुर दिनांक 03.09.2008 के आधार पर दिये गये वित्तीय अधिकार को प्रयोग में लाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2006 में निहित प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरहरपुर द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर 06 कार्य हेतु रुपये 8.412 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत, नरहरपुर को प्रदान की जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य की मांग आने पर कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करें।


राशि (लाख में)

कार्य कोड	कार्य का नाम	पात्रता का आधार	कार्य शीर्ष	ग्राम / कार्यस्थल	ग्राम पंचायत	प्रशासकीय स्वीकृति राशि				तकनीकी स्वीकृति राशि
						मजदूरी	सामग्री	अकारिमत राशि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जनपद पंचायत नरहरपुर										
2013/07/09/704	पौधा रोपण एवं वृक्षा रोपण कार्य किशोर/बुधारु 24 हेक्ट.	वन अधिकार	सूखा रोपण	सुरही	सुरही	0.088	0.053	0.003	0.144	0.144
2013/07/09/705	पौधा रोपण एवं वृक्षा रोपण कार्य अशोक/सुकलाल 34 हेक्ट.	वन अधिकार	सूखा रोपण	सुरही	सुरही	0.125	0.075	0.004	0.204	0.204
2013/07/09/706	पौधा रोपण एवं वृक्षा रोपण कार्य नारायण/जोहनरा म 1 हेक्ट.	वन अधिकार	सूखा रोपण	सुरही	सुरही	2.130	0.260	0.060	2.450	2.660
2013/07/09/707	पौधा रोपण एवं वृक्षा रोपण कार्य सुमित्रा/धनसिंग 2 हेक्ट.	वन अधिकार	सूखा रोपण	सुरही	सुरही	4.260	0.520	0.120	4.900	5.320
2013/07/09/708	पौधा रोपण एवं वृक्षा रोपण कार्य जगदीश/छोश्याम 0.7 हेक्ट.	वन अधिकार	सूखा रोपण	सुरही	सुरही	0.217	0.130	0.007	0.354	0.354
2013/07/09/709	पौधा रोपण एवं वृक्षा रोपण कार्य देवसिंग/भादू 0.6 हेक्ट.	वन अधिकार	सूखा रोपण	सुरही	सुरही	0.221	0.132	0.007	0.360	0.360
योग :-		6				7.041	1.170	0.201	8.412	9.042

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. सचिव छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/1930/दिनांक 02.05.2008 में दिये गये निर्देश के
2. मजदूरी भुगतान बैंक एवं डाकघर के माध्यम से वेज स्लीप के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।
3. कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता मूल्यांकन समिति का प्रमाण पत्र लगाया
4. योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबन्धित रहेगी। ठेकेदारी/बेचीलिये से कार्य कराते हुये पाये जाने पर बिना
5. कार्य स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, छाया हेतु शैड, झूलाघर इत्यादि उपलब्ध करायी जायेगी।
6. योजनान्तर्गत कार्यरत व्यक्ति को चोट लगने अथवा कार्य करत समय दुर्घटना से अस्थायी अपंगता की स्थिति में


- 7 कियान्वयन एजेन्सी को संबंधित जनपद पंचायत से कार्यवार मस्टररोल प्राप्त करना होगा।
 - 8 मस्टररोल में श्रमिक का परिवार रोजगार कार्ड क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित की जावेगी।
 - 9 कियान्वयन एजेन्सी को मस्टर रोल की एक प्रति अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की अभिलेखों में पूर्ति हेतु उलपक्ष
 - 10 मस्टररोल पर दर्शाये गये श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस, अकार्य दिवस के विवरण ग्रामसभा के समक्ष पढ़कर
 - 11 ग्राम पंचायत/कियान्वयन एजेन्सी द्वारा मजदूरी भुगतान का वितरण परिवार रोजगार कार्ड में इन्द्राज किया जावेगा
 - 12 जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी भी कियान्वयन एजेन्सी के कार्य आरंभ के असफल होने पर कियान्वयन एजेन्सी को
 - 13 इस राशि का लेखा-जोखा बिल्कुल अलग रखा जायेगा।
 - 14 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ करके 2 माह के भीतर पूर्ण कराया जावे।
 - 15 कार्यस्थल पर बोर्ड प्रदर्शित किया जावे जिसमें योजना का नाम स्वीकृति वर्ष एवं स्वीकृति राशि तथा मजदूरी का
 - 16 कार्य प्रारंभ के पूर्व प्रगति के दौरान एवं पूर्णता पश्चात् कार्य का फोटोग्राफ लिया जावे जिसे पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ
 - 17 कार्य किसी अन्य योजना का मद से स्वीकृत न होने अथवा रा0शा0रो0गा0 योजना अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत न हो।
 - 18 प्रस्तावित कार्य के सही शासकीय व अविवादित होना चाहिए उक्त सही अन्य योजना हेतु आरक्षित नहीं होना चाहिए।
 - 19 मस्टर रोल का सत्यापन चौपाल में कराने उपरान्त भुगतान करें। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में अमान्य किया
 - 20 कार्य में बाल श्रमिक को न रखा जावे।
 - 21 प्रकरणों के साथ नक्शा-खसरा तैयार कर कार्य प्रारंभ करावे।
 - 22 स्वीकृत कार्य के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को राज्य शासन द्वारा 1 अप्रैल से निर्धारित मजदूरी दर 146.00 प्रतिदिन के
 - 23 प्रत्येक कार्य हेतु रोजगार पंजी का संवर्णन करे एवं पंजी कार्य स्थल पर रखा जावे।
 - 24 यह सुनिश्चित कर लेवे की जीबकार्ड परिवारों को 150 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ है या रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।
 - 25 कार्य स्थल पर मस्टररोल स्टीमेट अनिवार्य रूप से रखें।
 - 26 स्वीकृत कार्यों के प्रारंभ से पहले, कार्य कियान्वयन के मध्यम में तथा निर्माण कार्य के संपादन उपरांत कार्यस्थल का
- उक्त कार्य हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखा जावे।**
- 1 रोजगार गारंटी योजनांतर्गत उस क्षेत्र में अन्य कार्य संचालित है / नहीं।
 - 2 आस-पास के 5 किमी के परिधि में पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग की गई है अथवा नहीं।
 - 3 कार्य में उन्ही मजदूरों को नियोजित किया जावेगा जिनकी सूची ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा आपको प्राप्त हो
 - 4 यह सुनिश्चित कर लेवे कि 150 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं।
- (कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

7482
पू.क्र./...../ जि.पं./MGNREGA/2013-14
प्रतिलिपि :-

कांकेर दिनांक 30/07/2013

- 1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर
- 2 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व (राहत) विभाग मंत्रालय रायपुर।
- 3 आयुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- 4 माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र कांकेर।
- 5 माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
- 6 माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, कांकेर/मानुप्रतापपुर/अंतागढ़।
- 7 कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
- 8 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर/मानुप्रतापपुर/पंखाजूर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10 लेखा शाखा (MGNREGA) जिला पंचायत उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11 खण्ड रत्रोत समन्वयक विकासखण्ड.....को सूचनार्थ।
- 12 सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत....., जनपद पंचायत..... जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर